FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

गिरधारीराम बनाम उमेदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा. आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 55 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भावड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20.2.18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20.2.18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के मेढ़ (स्थायी) करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेढ़बंदी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मेढ़बंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी का मेढ़बंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बापु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेढ़बंदी मौके पर शुल्क जमा करवाकर, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बरान कार्यवाही	

दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 237 दिनांकः– 20.2.18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम वगैरा 7 जाति जाट निवासी चक सन्तरा तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. उमेदाराम पुत्र भूराराम वगैरा 23 निवासी उतरणी तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 55/18

आदेश

मौजा चक सन्तरा पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 277/7, 286/31 रकबा क्रमशः 27.07, 19.00 बीघा, मौजा पाउण्डरी रामदेव नगर पटवार हल्का चिड़िया के खेत खसरा नम्बर 167/6, 142/13, 13, 143/13 रकबा क्रमशः 19.06, 62.00, 85.02, 25.00 बीघा, मौजा जाजवा आईजी पटवार मण्डल जाजवा के खेत खसरा नम्बर 737/678 रकबा 45.11 बीघा, मौजा रिड़िया रामदेव नगर पटवार मण्डल सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 192/9 रकबा 08.03 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलेक्टर (SDO)
(स्वरूपराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 20.2.18

क्रमांक / वाद / 2018 / 238–242

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सन्तरा/चिड़िया/जाजवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री गिरधारीराम पुत्र लिखमाराम वगैरा 7।
4. विप्रार्थीगण श्री उमेदाराम पुत्र भूराराम वगैरा 23।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner